अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 259/2013 चन्देश्वरी विश्वास एवं अन्य —— अपीलार्थी बनाम रामचन्द्र ठाकुर एवं अन्य अन्य —— रेस्पोन्डेन्ट्स –::आदेश::– प्रस्तुत वाद चन्दे वरी वि वास वगैरह द्वारा बिहार भूमि विवाद निरीाकरण अधिनियम वाद संख्या 142/2012–13 रामचन्द्र ठाकुर 01 अन्य बनाम चन्देश्वरी विश्वास 11 अन्य में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदेश के विरूद्व बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा 14 एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून, 2010 की धारा 23 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अपील वाद में अपीलार्थी/विपक्षी का कथन यह है कि मौजा–विशनपुर, थाना–मुरलीगंज अंतर्गत खेसरा नं०–958 (पुराना) रैयती भूमि है एवं खेसरा नं०–954 (पुराना) गैर मजरूआ आम सड़क है। पुराना खेसरा नं० 954 से नया खेसरा नं०–1346 रकवा–5 डी० एवं नया खेसरा संख्या–1347 रकवा–6 डी० पुराना खेसरा सं०–954 का ही भाग है। पुराना खेसरा की 2 डी० भूमि को खेसरा संख्या–1347 में मिला दिया गया इस प्रकार नया खेसरा संख्या–1347 का कुल रकवा–8 डी० है जिसपर रसीक ठाकुर के द्वारा अवैध रूप से दखल का दावा किया गया है, रसीक ठाकुर का उक्त भूमि पर न तो कोई वैध अधिकार है और ना ही स्वामित्व। चूँकि पुराना खेसरा सं०–954,	

नया खेसरा सं०–1347 गैरमजरूआ आम भूमि है अतएव रसीक ठाकुर की उक्त भूमि पर दावा अवैधानिक है। पुरान खेसरा संख्या–958 की भूमि अपीलार्थी/विपक्षी की केबाला भूमि है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस वाद में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर पारितोश हेतु अनुरोध किया गया है:–

पुराना खेसरा सं०–958 की उक्त भूमि केबाला के आधार पर अपीलार्थी/विपक्षी की भूमि है एवं नया खेसरा सं०– 1347 पुराना खेसरा सं०–958 से निकाली गई भूमि से बना है तथा पुराना खेसरा संख्या–958 से रेस्पोंडेन्ट्स का कोई संबंध नहीं है अतएव विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध एवं अवैधानिक है।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा निम्नन्यायालय के समक्ष कथन किया गया है कि विहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 की धारा 4 (1)घ सहपठित धारा 4(1)क, ख, ग कें तहत निम्नन्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल कर निवेदन किया कि विपक्षी के द्वारा दखल की गयी भूमि पर वादी को दखल दिलाने की कृपा की जाय। विवादी भूमि का विवरण निम्नप्रकार है:–

मौजा विनपुर अरार थाना नं0 149 अंचल ग्वालपाड़ा

खाता	खेसरा	रकबा	चौहदी
		ए0– डी0	
383 नया	1347नया	00.08	में जानिव दक्षिण से 02 डी0 पर तथा 00.08 डी0 में से जानिब पूरब से 750 वर्ग कड़ी पर

प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खतियान इनके पिता के नाम दर्ज है। वादी संख्या 01 रामचन्द्र ठाकुर दक्षिण से तथा वादी संख्या 02 भूपेन्द्र ठाकुर उत्तर से घर दरवाजा बनाकर पूर्वजों के समय से सपरिवार दखलकार है। पिता के नाम जमाबंदी कायम है और मालगूजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं। वादी संख्या 01 गृहरक्षा वाहिनी है और वादी संख्या 02 राजमिस्त्री का काम करते है। वर्श 2011 के पंचायत चुनाव कर्तव्य पर वादी संख्या 01 था तथा वादी संख्या 02 रोजी रोटी कमाने राजस्थान गया था। इसी बीच प्रश्नगत 02 डी जमीन पर प्रतिवादीगण फूस का मवेशी घर, नाद, किल्ला, खूँटा गाड़ कर दखलकर लिये और प्रश्नगत जमीन के पूरब से 750 वर्गकड़ी को प्रतिवादी संख्या 12 निर्मल दास मवेशी के लिए फुस का घर , बथान, नाद किल्ला खुँटा गाड़ कर इनकी खतियानी जमीन को दखल कर लिये को अंचल अमीन से नापी करवाते हुए वादी को प्रश्नगत जमीन पर पुनः दखल दिलायी जाय।

रेसपोण्डेन्ट/वादी ने अपने दावे के समर्थन में हाल सर्वे खतियान,

गालगूजारी रसीद एवं पंचनामा दाखिल किया गया है।

अभिलेख पर रक्षित निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित है कि प्रतिवादी का यह कथन कि सड़क की जमीन एवं प्रतिवादी की जमीन से ही वादी के पिता के नाम नया सर्वे खतियान प्रकाशित है, के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं दिया गया है। वादी के पिता के नाम हाल सर्वे खतियान प्रकाशित है, जमाबंदी कायम है। स्थानीय अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, मुखिया सरपंच आदि के समक्ष हुए पंचायत के आधार पर बलात कब्जा मानते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकृत किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। पाया कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतएव प्रस्तुत मामले में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा दिनांक 29.08.2012 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को स्वयं स्थल निरीक्षण कर एवं वाद की पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा